न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 58/2014/75 एलआर एक्ट

1. छोटूराम पुत्र लखीराम जाति जाट निवासी चक 21 आरडब्ल्यूडी ढाणी नेहरावाली तहसील रावतसर

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. चानण पुत्र मामराज जाति सुथार निवासी चक 21 आरडब्ल्यूडी ढाणी नेहरावाली तहसील रावतसर।
2. जगदीश पुत्र मामराज जाति सुथार निवासी चक 21 आरडब्ल्यूडी ढाणी नेहरावाली तहसील रावतसर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

––असल रेस्पोडेन्ट

4. रामचन्द्र पुत्र लखीराम जाति जाट निवासी चक 21 आरडब्ल्यूडी ढाणी नेहरावाली तहसील रावतसर।
5. विद्यादेवी पत्नि रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी चक 21 आरडब्ल्यूडी ढाणी नेहरावाली तहसील रावतसर।
6. महेन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी चक 21 आरडब्ल्यूडी ढाणी नेहरावाली तहसील रावतसर।
7. सीताराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी चक 21 आरडब्ल्यूडी ढाणी नेहरावाली तहसील रावतसर।
8. सन्तोष पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी चक 21 आरडब्ल्यूडी ढाणी नेहरावाली तहसील रावतसर।

–––तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.02.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर

प्र0सं0 124/7 व 430/11 स्माल पेच मे आंवटित किया गया रकबा को निरस्त करने बाबत

उपस्थित :–

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3

निर्णय दिनांक –23.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 21 आरडब्ल्यूडी के प.न. 229/410 कि.न. 4/0.063, 7/0.013 है0 कुल 0.076 है0 व प.न. 228/411 कि.न. 1/0.151, 8/0.051 कुल 0.202 है0 भूमि स्माल

पेच की दर्शाते हुए उक्त भूमि के आवंटन का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये स्मालपेच के अन्तर्गत पुख्ता आवंटन किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी पर कथन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि जमाबंदी सम्वत 2046 से 2049 के अनुसार प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। प्रश्नगत भूमि का भूखण्ड पट्टा अपीलांट सं. 2 स्वयं को एवं अपीलांट सं. 1 के पिता ओमप्रकाश को दिनांक 05.03.1991 को सरपंच ग्राम पंचायत भोजासर द्वारा आवंटित कर भूखण्ड अभिलेख निष्पादित किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पट्टा शुदा भूखण्ड का आवंटन बिना अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये रेस्पो0 सं. 1 को अपीलाधीन आदेश जरिये किया गया है। जिससे अपीलांट के हित प्रभावित हुऐ है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिपूर्ण नही होने के इसकी पुष्टि किया जाना न्यायंसगत नही होने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे प्रभावित पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर मौके रिपोर्ट प्राप्त करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर विधिवत रूप से प्रकरण का निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 24.10.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़